न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

रामप्रसाद सिंह बनाम् विशुन सिंह वगै०

वाद संख्या – 162/2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
5/2/24	आदेश अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा–केशवारी, थाना–सरिया अंचल–सरिया, जिला–गिरिडीह, खाता न०–141, प्लॉट न०–370, रकवा–1.88 एकड़, चौहद्दी– उ०–बक्स मियां, द०–परती ज़मीन, पू०–टिपना व टिपन घटवार, प०–रूपना व रूदरा व तिलका घटवार पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बताया की उक्त भूमि सर्वे गैरमजरूआ खास किस्म की जमीन है, जो प्रथम पक्ष के पिता सोबर सिंह को 1945 ई० में हुक्मनामा से हासिल है। प्रश्नगत वाद की भूमि का जमाबंदी पंजी–II के पेज संख्या 06 पर जमाबंदी दर्ज है एवं राजस्व रसीद निर्गत होता चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि के शेष भाग पर प्रथम पक्ष का घर–मकान बना हुआ है जिस पर प्रथम पक्ष निवास करते हैं एवं प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा वर्षों से चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। 1. फर्द अमीन रिर्पोट की छायाप्रति। 2. हुक्मनामा की छायाप्रति। 3. प्रश्नगत भूमि के नक्सा की छायाप्रति। 4. सूचना अधिकार द्वारा निर्गत पंजी–II की छायाप्रति। 5. राजस्व रसीद की छायाप्रति। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि द्वितीय पक्ष को बंदोबस्ती वाद संख्या 17/1972 से प्राप्त है एवं जमाबंदी भी अंचल कार्यालय में दर्ज है तथा द्वितीय पक्ष अपनी बंदोबस्ती भूमि पर दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। 1. आम इस्तिहार की छायाप्रति। 2. वर्तमान पंजी–II की छायाप्रति। 3. राजस्व रसीद की छायाप्रति। थाना प्रभारी सरिया के द्वारा उक्त वाद की भूमि के कुछ भाग पर पूर्व से आवेदक रामप्रसाद सिंह, अमीर सिंह का मकान बना हुआ है एवं घर के पीछे विशुन सिंह वगैरह का खलिहान भी बना हुआ है	

एवं ईट भी गिराया गया है। वाद की भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच टकराव होने का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि पर हक–हकियत से संबंधित विवाद है जिसका निष्पादन इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में वाद लाकर अपना–अपना दावा प्रस्तुत करते हुए विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाये रखें। उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

05/2/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

05/2/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:02:12 +05:30
Location: 192.168.1.3